रजिस्ट्री सं. डी.एल. -33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 19, 2016/पौष 29, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 191
No. 11] DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 2016/PAUSA 29, 1937 [N.C.T.D. No. 191

भाग—IV
PART—IV
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जनवरी, 2016

फा. सं. 61(913)/जेजेबी–III/डीडी(सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/2015 16/41248 74.—किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम 2000 (2000 का 56) की धारा 4(1) के तहत, और दिनांक 26 मार्च 2003 की अधिसूचना संख्या एफ सं. 61(2)/डीओ–I/डीएसडब्ल्यू/2001/2832–2891 के अनुक्रम में धारा 66 के अन्तर्गत, प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत मैं, निदेशक, महिला एवं बाल विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, किशोर न्याय बोर्ड III, गठित करता हूँ, जिसके अन्तर्गत ये बोर्ड उपरोक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों और कर्तव्यों का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बच्चें जिन्हें सुरक्षा और देखरेख की जरूरत है के लिए प्रयोग करेगी।

क्रम सं.	अध्यक्ष/सदस्य का नाम और पता	पद
1	श्री अरूल वर्मा, पता– सी–74, साकेत कोर्ट, रेजीडेन्सीयल कॉम्पलेक्स, साकेत, नई दिल्ली–110017 मो. 9650696171	प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट
2	श्रीमति मिनाक्षी मित्रा, पता–मकान नं. 47, दूसरी मंजिल, सेक्टर-35, अशोका एन्कलेव –3, फरीदाबाद। मो. 9871359095	सोशल वर्कर
3	सुश्री विन्सी पौलूस, सीएचएफ, शान्तिधरा, प्रोविन्सल हाउस, प्लाट नं. 767, बुराड़ी, दिल्ली–110084 मो. 9650621540	सोशल वर्कर

उक्त बोर्ड सेवा कुटिर परिसर, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली से कार्य करेगा। उपरोक्त बोर्ड का कार्यकाल अधिसूचना की तिथि 01.02.2016 से तीन वर्ष का होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से और उनके नाम पर,
संजय कुमार सक्सेना, निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 19th January, 2016

F. No. 61(913)/JJB-III/DD(CPU)/DWCD/2015-16/41248-74.—In exercise of the powers conferred by sub-section 4(1) of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000) and in pursuance of power delegated vide notification No. F. 61(2)/DO-I/DSW/2001/2832-2891 dated: 26.03.2003 u/s 66 of the aforesaid Act, I, Director, Women & Child Development hereby constitute Juvenile Justice Board-III consisting of the following, for exercise the powers and discharging the duties conferred or imposed on such Board, in relation to the children in conflict with law under the said Act for the National Capital Territory of Delhi.

S. No.	Name & Address of Chairperson/Members	Designation
1.	Sh. Arul Verma R/o C-74, Saket Court Residential Complex, Saket, New Delhi - 110 017 Mobile No. 9650696171	Pr. Magistrate
2.	Ms. Meenakshi Mitra R/o H. No. 47, 2nd Floor, Sector-35, Ashoka Enclave-3, Faidabad, Haryana. Mobile No. 9871359095	Social Worker
3.	Ms. Vincy Poulose Chf Shantidhara Provinicial House, Plot 767, Burari, Delhi-110084 Mobile No. 9650621540	Social Worker

This Board shall function from its designated premises at Sewa Kutir Complex, Kingsway Camp, and Delhi. The tenure of the above said Board shall be functional w.e.f. 01.02.2016 for a period of three years.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SANJAY KUMAR SAXENA, Director

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जनवरी, 2016

फा. सं. 16(498)/यूडी/डब्ल्यू/2015/73.—अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से जल विकास प्रभार की लेवी/वसूली के संबंध में जारी दिनांक 26.6.2015 की अधिसूचना फा. सं. 16(498)/यूडी/डब्ल्यू/15/443-449 तथा अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों से सीवर विकास प्रभार की लेवी/वसूली के संबंध में जारी दिनांक 26.6.2015 की अधिसूचना फा. सं.16(496)/यूडी/डब्ल्यू/15/436–442 इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से आगे छह माह की अवधि के लिये लागू होगी। स्कीम के क्रियान्वयन/निष्पादन करते समय पहले से जारी उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं की शर्त एवं निबंधन तथा अन्य विषयवस्तु यथावत् रहेंगी। जबकि स्कीम के क्रियान्वयन/निष्पादन करते समय दिल्ली जल बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपरोक्त विस्तारित अवधि में योजना क्रियान्वित हो। योजना का क्रियान्वयन पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगा तथा स्कीम के लिये आवदेन करने वाले किसी व्यक्ति से प्राप्त आवेदन, का निपटान यथाशीघ्र तथा अधिकतम 30 दिनों की अवधि के भीतर होना चाहिए।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 19th January, 2016

F. No. 16 (498)/UD/W/2015/73.—The notification No F.16(498)/UD/W/15/443-449 dated 26/06/2015 issued regarding Levy/Recovery of Water Development Charges from resident of Unauthorized Colonies and notification no F. 16(496)/UD/W/15/436-442 dated 26/06/2015 regarding Levy/Recovery of Sewer Development Charges from the resident of unauthorized colonies would be applicable for further period of sixth months w.e.f. the date of publication of this notification. The terms and conditions and other contents of above both notification already issued will be remain unchanged while implementing/executing the scheme. But While implementing/executing the scheme, Delhi Jal Board has to ensure that the scheme is implemented in the extended period as above. The scheme should be implemented on first come first serve basis and an application from any person, who applies for the scheme should be disposed of as early as possible and within a maximum period of 30 days.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
R. C. KESARWANI, Asstt. Director (Water)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.